Impact Factor (SJIF): 6.092 E-ISSN: 2583-1615

International Journal of Research in Academic World

Received: 10/September/2023 IJRAW: 2023; 2(10):149-154 Accepted: 15/October/2023

# कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व वर्तमान परिदृश्य राजस्थान के सन्दर्भ में

*[1]प्रसेन पंवार

*[1]सह आचार्य ए.बी.एस.टी., राजकीय कन्या महाविद्यालय, पाली, राजस्थान, भारत।

**सारांश**

सामाजिक दायित्व एक ऐसी जवाबदेयी है जिससे एक व्यक्ति, फर्म कम्पनी इत्यादि के समाज के प्रति दायित्वों के निर्वहन से लेकर उसके क्रियान्वयन तक की रूपरेखा होती है आपने यदि समाज से कुछ लिया है तो आपका दायित्व की आप समाज, प्रकृति को कुछ ना कुछ किसी ना किसी रूप में पुनः लौटाए। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना से अभिप्राय उद्यौगो का देश, समाज एवं प्रकृति के प्रति दायित्व को निभाने से। उद्यौगो का मूल संकुचित रूप में केवल लाभ कमाने एवं व्यवसायिक गतिविधियों के प्रसारण मात्र से है वही विस्तृत रूप में व्यवसायिक गतिविधियो के साथ साथ देश,सामाजिक एव पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करना भी है।

राजस्थान एक मरू प्रदेश जहॉ मिलो फैले रेगिस्तान में मानव सभ्यता निरन्तर आभावो के साथ ही जीवन जिने को विवश है। जहॉ एक और पानी की कमी के कारण खेती मानसून पर निर्भर करती है वही दूसरी और बेरोजगारी, शिक्षा का अभाव, उद्यौगिक विकास की कमी आदि के कारण राजस्थान भारत का एक पिछडा राज्य है। औद्योगिक ईकाइयो द्वारा अपने लाभ कुछ हिस्सा सामाजिक दायित्व के रूम देश समाज एवं पर्यावरण आदि में लगाये तो राजस्थान की मरू भूमि सोने के सामन चमक उठे।

**मुख्य शब्दः** कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व, सी.एस.आर. फंड, राजस्थान।

## प्रस्तावना

भारतीय कम्पनी अधिनियम 2012 के अनुसार प्रत्येक कम्पनी को अपने शुद्ध लाभ का 2 प्रतिशत सी एस आर में लगाना होगा। जिसके कारण प्रत्येक कम्पनी का दायित्व बन गया की वह सी एस आर में अपने लाभ का एक निश्चित हिस्सा सामाजिक कार्यो के विकास मे लगाते हुए अपने सामाजिक दायित्वो को पूर्ण करें। कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सी.एस.आर.) एक स्व–विनियमन व्यवसाय मॉडल है जो किसी कंपनी को खुद, उसके हितधारकों और जनता के प्रति सामाजिक रूप से जवाबदेह बनने में मदद करता है। कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी का अभ्यास करके, जिसे कॉर्पोरेट नागरिकता भी कहा जाता है, कंपनियां समाज के सभी पहलुओं, जिसमें आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय शामिल हैं, पर पड़ने वाले अपने प्रभाव के बारे में सचेत हो सकती हैं। कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी का अर्थ है समाज के लिए उपयोगी कार्य करना और हितधारकों, उदाहरण के लिए, कर्मचारियों, ग्राहकों, शेयरधारकों, आपूर्तिकर्ताओं, आम जनता आदि को पर्याप्त सेवाएँ देकर समाज के संतुलित विकास में योगदान देना। कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सी.एस.आर.) वह तरीका है जिसके द्वारा कंपनियाँ समाज पर समग्र सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए अपनी व्यावसायिक प्रक्रियाओं का प्रबंधन करती हैं। इसमें प्रबंधनीयता, सामाजिक प्रभाव और समाज में संचालन के लिए अपनाई जाने वाली नैतिकता शामिल है। सी.एस.आर. के अंतर्गत आने वाले हितधारक हैं ग्राहक आपूर्तिकर्ता कर्मचारी व्यवसाय भागीदार शेयरधारक निवेशकर्ता सरकार आदि।

राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। किसी भी राज्य के आर्थिक विकास में अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्रों कृषि, उद्योग एवं सेवा में से उद्योग क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राज्य के औद्योगिक वातावरण का विकास स्थानीय संसाधनों के अधिकतम उपयोग, परम्परागत दस्तकारों के कौशल,

*Corresponding Author: प्रसेन पंवार

उत्पादकता में सुधार, बुनियादी ढाँचे के लिए समुचित प्रावधान, राज्य में उद्यमियों को निवेश हेतु आकर्षित करने हेतु दीर्घकालीन राजकोषीय एवं निवेश प्रोत्साहन नीति के साथ उद्योगों को वित्तीय सहायता पर निर्भर है। तीव्र औद्योगीकरण के लिए राज्य में आधारभूत संरचना के साथ राज्य सरकार की सहायता, सहयोग एवं मार्गदर्शन की महत्ती आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के दृष्टिगत राज्य में उद्योग, हस्तशिल्प, हाथकरघा तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्यमों के द्रुतगति से विकास करने, मार्गदर्शन, आवश्यक सहायता एवं सुविधाएँ प्रदान करने हेतु राज्य स्तर पर कार्यालय आयुक्त, उद्योग विभाग एवं जिला स्तर पर जिला उद्योग केन्द्र कार्यरत है।

राज्य में कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर.) के प्रावधानों को समुचित रूप से क्रियान्वित करने, इसमें समन्वय कर समुचित सहयोग प्राप्त करने, विभिन्न औद्योगिक समूहों से समन्वय स्थापित कर उनसे आवश्यक सुझाव प्राप्त करने, उन्हें नवीन प्रावधानों के संबंध में यथोचित मार्गदर्शन प्रदान करने एवं प्राप्त राशि से समुचित आधारभूत सुविधाओं का सृजन एवं विकास करने के लिये राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 05.11.2019 द्वारा राजस्थान कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर.) प्राधिकरण का गठन किया गया है। भारत के विभिन्न राज्यों एवं राजस्थान में विभिन्न कॉरपोरेट घरानो के द्वारा किये सी.एस.आर. फण्ड की स्थिती 2014 से 2023 तक के द्वारा हम जान सकते हैं कि राजस्थान में अन्य राज्यों के इतर कितना सी.एस. आर. फण्ड खर्च किया गया। जबकि राजस्थान भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बडा राज्य लेकिन उद्यौग की स्थिती अन्य छोटे राज्यों से कई कम है।

## शोध के उद्देश्य

इस शोध से यह ज्ञात करना की भारतीय कम्पनीयों ने अपने लाभ में से कितना–कितना फण्ड किन–किन राज्यों के साथ राजस्थान में कितना लगाया है।

## शोध परिकल्पना

उपरोक्त शोध हेतु द्वितीय संमको का प्रयोग किया गया । जो कि पूर्व में प्रकाशित रिर्पोट एवं वेब साइट से लिये गयें।

## रिव्यु ऑफ लिटरेचर

1. किशोर नीलकांतन के अनुसार, कंपनी अधिनियम 2013 के लागू होने से सी.एस.आर. गतिविधियों के लिए एक बड़ा विनियामक प्रोत्साहन मिलेगा और यह भारत में संचालित सभी कंपनियों के लिए अनिवार्य है। लेखक ने निवेशकों के लिए कंपनियों के सी.एस. आर. प्रयासों का मूल्यांकन करने के लिए एक रूपरेखा का सुझाव दिया जो चार प्रमुख मापदंडों पर आधारित है– ईमानदारी, रणनीतिक अभिविन्यास, दक्षता और पारदर्शिता।
2. प्रवीण कुमार (2013) ने भारत में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर अपने लेख में भारत में सी.एस.आर. के वर्तमान परिदृश्य और भारत के संदर्भ में उपलब्ध चुनौतियों के बारे में बात की है।
3. डॉ. एम. रमण कुमार (2013) ने चुनिंदा भारतीय निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के विश्लेषण पर अपने अध्ययन में भारतीय निजी (रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड) और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों (ओएनजीसी) द्वारा की गई सी.एस.आर. गतिविधियों का विश्लेषण करने की कोशिश की और सी.एस.आर. की भारतीय सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का भी अध्ययन किया। अध्ययन से पता चला कि हालांकि भारतीय सार्वजनिक और निजी फर्म सी.एस. आर. क्षेत्रों में प्रयास कर रही हैं, फिर भी सी.एस.आर. पर अधिक जोर देने की आवश्यकता है।
4. बिभु प्रसाद और मोहंती (2012) ने सतत विकास बनाम वास्तविक सी.एस.आर. पर एक अध्ययन किया। उनके अध्ययन के निष्कर्षों से पता चला कि आज कंपनियाँ बाल श्रम, भूजल, भोजन, शिक्षा आदि जैसे कई क्षेत्रों में निवेश करती हैं, लेकिन वे गरीबों की आवश्यक जरूरतों के बारे में नहीं जानती हैं। अध्ययन ने सुझाव दिया कि हालाँकि मुनाफा कमाना कंपनियों का एक स्वाभाविक तथ्य है, लेकिन सी.एस. आर. कंपनियों के प्राकृतिक और वैधानिक दायित्व से परे है। अध्ययन ने निष्कर्ष निकाला कि सतत विकास समाज के साथ–साथ कंपनी का संतुलित तरीके से विकास है।
5. हरभजन बंसल, विनू परिदा और पंकज कुमार (2012) ने भारत में सी.एस.आर. के उभरते रुझान शीर्षक वाले अपने शोधपत्र में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध 11 क्षेत्रों की 30 कंपनियों का उनके वार्षिक रिपोर्ट की मदद से विश्लेषण किया। अध्ययन ने निष्कर्ष निकाला कि आज कंपनियाँ न केवल मुनाफा कमाने के लिए काम कर रही हैं, बल्कि उन्हें सामाजिक रूप से मैत्रीपूर्ण होने का महत्व भी समझ में आ गया है। सामाजिक जिम्मेदारी आज नई दिशा में मुड़ने लगी है।
6. हरीश कुमार (2012) ने अपने शोध लेख सी.एस.आर. रिविजिटेड में सी.एस.आर. के प्रति कंपनियों के चार अलग–अलग दृष्टिकोणों पर प्रकाश डाला है सुशासन, विनाशकारी सी.एस.आर., विवेकाधीन सी.एस.आर. और भ्रम सी.एस.आर.। उन्होंने सी.एस.आर. के साथ–साथ सी.एस.आर. चालक के खिलाफ तर्क को उजागर करने की भी कोशिश की। शोधकर्ता ने आठ कारक भी पाए जो सी.एस.आर. पहल को आगे बढ़ाते हैं। वे हैं परोपकारी रवैया, सरकारी कार्रवाई, पर्यावरण संबंधी चिंता, नैतिक उपभोक्तावाद, संकट और विपत्तियाँ, वैश्वीकरण और बाजार की ताकत, सामाजिक जागरूकता और शिक्षा, और सामाजिक अपेक्षाएँ।
7. बीम, डॉ. सर्बप्रिया एट अल. (2012) ने अपने शोध पत्र भारत में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर एक करीबी नजर में हाल के कुछ वर्षों में विकसित सी.एस.

आर. की थीम पर ध्यान केंद्रित किया है, जो साधारण परोपकारी गतिविधियों से लेकर व्यवसाय के हितों को उन समुदायों के साथ एकीकृत करने तक है, जिनमें यह संचालित होता है। इस शोधपत्र में, उन्होंने भारत में बड़े कॉर्पोरेट घरानों द्वारा अपनाई जा रही नैतिकता के साथ सी.एस.आर. और संबंधित व्यावसायिक प्रथाओं का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करने की कोशिश की है।

8. मैलेन बेकर (2012) ने कॉर्पोरेट उत्तरदायित्व में चार उभरते रुझान पर अपने लेख में सी.एस.आर. के रुझानों के बारे में तीन बुनियादी बातों को स्पष्ट करने की कोशिश की जो पिछले कई वर्षों से बदल गए हैं। सबसे पहले, व्यवसाय और समाज के बीच संबंध बदल गए हैं। वे दुनिया भर में व्याप्त सामाजिक और पर्यावरणीय समस्या के कारण करीब आ गए हैं। दूसरा, व्यवसायी की व्यवसाय को विकसित करने की रणनीति ने भी समाज को बहुत प्रभावित किया। उनके नए विचार, अवधारणा, विकास भी सी.एस.आर. प्रबंधन के साथ आए जो उनके उत्पाद और सेवाओं में परिलक्षित होते हैं। अंत में, सी.एस.आर. के परिवर्तन अन्य पक्षों जैसे बाहरी एजेंसियों और फर्म के अपने लक्ष्यों से भी प्रभावित होते हैं जो फर्म की गतिविधि में हस्तक्षेप करते हैं।

## शोध विश्लेषण

**तालिका 1:** विभिन्न राज्यों में विभिन्न उद्यौगे द्वारा खर्च किये गये सी.एस.आर. फण्ड की स्थिती 2014 से 2023 तक

| State | State | Amount Spent FY 2014-2015 (INR Cr.) | Amount Spent FY 2015-2016 (INR Cr.) | Amount Spent FY 2016-2017 (INR Cr.) | Amount Spent FY 2017-2018 (INR Cr.) | Amount Spent FY 2018-2019 (INR Cr.) | Amount Spent FY 2019-2020 (INR Cr.) | Amount Spent FY 2020-2021 (INR Cr.) | Amount Spent FY 2021-2022 (INR Cr.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andaman And Nicobar | 0.29 | 0.55 | 0.63 | 0.73 | 0.82 | 1.29 | 2.86 | 9.71 | 2.53 |
| Andhra Pradesh | 414.28 | 1276.73 | 745.24 | 575.07 | 665.97 | 710.23 | 719.81 | 656.05 | 954.65 |
| Arunachal Pradesh | 11.05 | 1.48 | 24.05 | 11.91 | 24.56 | 18.02 | 10.58 | 119.42 | 13.35 |
| Assam | 134.78 | 158.97 | 257.19 | 211.33 | 210 | 285 | 180.23 | 405.92 | 470.25 |
| Bihar | 36.69 | 123.8 | 100.84 | 106.17 | 137.95 | 110.48 | 89.89 | 165.97 | 235.37 |
| Chandigarh | 1.77 | 5.34 | 21.96 | 20.51 | 11.46 | 15.58 | 13.4 | 50.88 | 18.63 |
| Chhattisgarh | 161.3 | 239.72 | 84.85 | 176.7 | 149.35 | 269.68 | 325.63 | 304.83 | 596.11 |
| Dadra And Nagar Haveli | 4.41 | 12.03 | 7.37 | 6.98 | 13.48 | 18.34 | 21.98 | 14.11 | 13.71 |
| Daman And Diu | 20.05 | 2.39 | 2.63 | 20.23 | 6.25 | 9.53 | 5.25 | 4.13 | 9.4 |
| Delhi | 237.44 | 455.17 | 460.71 | 579.37 | 750.85 | 830 | 724.59 | 1190.39 | 1483.72 |
| Goa | 27.11 | 28.15 | 36.25 | 53.77 | 46.77 | 43.91 | 41.92 | 45.43 | 58.16 |
| Gujarat | 313.41 | 547.94 | 865.81 | 967.97 | 1082.18 | 984.37 | 1461.6 | 1603.51 | 2008.41 |
| Haryana | 187.41 | 373.44 | 386.65 | 363.43 | 378.11 | 537.91 | 550.86 | 678.88 | 700.95 |
| Himachal Pradesh | 10.95 | 52.2 | 23.32 | 69.23 | 78.79 | 78.78 | 106.31 | 140.22 | 138.49 |
| Jammu And Kashmir | 38.48 | 107.8 | 42.97 | 50.77 | 36.44 | 25.27 | 35.56 | 50.36 | 71.22 |
| Jharkhand | 79.44 | 116.93 | 119.84 | 109.23 | 109.8 | 155.21 | 226.54 | 193.33 | 388.35 |
| Karnataka | 403.47 | 771.59 | 876.84 | 1145.79 | 1257.69 | 1448.16 | 1277.81 | 1836.86 | 1985.55 |
| Kerala | 68.23 | 145.03 | 133.84 | 219.73 | 354.78 | 298.56 | 290.67 | 239.5 | 351.6 |
| Lakshadweep | 0 | 0.3 | 0 | 2.27 | 0.39 | 0 | 0.01 | 0.45 | 0.02 |
| Leh & Ladakh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.84 | 11.72 |
| Madhya Pradesh | 141.85 | 171.58 | 161.39 | 163.92 | 243.55 | 220.46 | 375.51 | 426.9 | 656.42 |
| Maharashtra | 1445.92 | 2026.91 | 2420.35 | 2797.53 | 3147.72 | 3353.24 | 3464.81 | 5375.26 | 5497.3 |
| Manipur | 2.44 | 6.25 | 12.6 | 4.81 | 7.81 | 14.21 | 10.39 | 15.62 | 53.45 |
| Meghalaya | 3.53 | 5.59 | 9.88 | 11.18 | 16.54 | 17.65 | 17.63 | 19.63 | 21.73 |
| Mizoram | 1.03 | 1.07 | 0.46 | 1.28 | 0.11 | 0.25 | 0.97 | 6.94 | 10.99 |
| Nagaland | 1.11 | 0.95 | 0.53 | 1.81 | 2.12 | 5.1 | 3.57 | 12.46 | 13.57 |
| Nec/Not Mentioned | 26.94 | 0 | 8.01 | 137.93 | 4.44 | 20.97 | 169.47 | 0.52 | 20.12 |
| Odisha | 252.18 | 618.69 | 355.32 | 504.22 | 697.91 | 717.39 | 578.16 | 670.23 | 987.59 |
| Pan India | 3995.7 | 4039.44 | 4646.22 | 5505.31 | 6443.53 | 9385.66 | 7805.03 | 5522.63 | 6060.98 |
| Pan India (Other Centralized Funds) | 624.61 | 910.74 | 787.22 | 799.18 | 1156.86 | 1790.69 | 3491.3 | 1613.57 | 948.81 |
| Puducherry | 2.02 | 6.37 | 7.5 | 6.09 | 9.15 | 11.32 | 12.43 | 9.31 | 12.55 |
| Punjab | 55.61 | 69.14 | 75.05 | 112.36 | 166.85 | 189.44 | 158.46 | 184.48 | 247.57 |
| Rajasthan | 299.76 | 483.99 | 353.75 | 443.35 | 595.49 | 734.12 | 670 | 709.85 | 1102.37 |
| Sikkim | 1.19 | 1.45 | 6.71 | 7 | 5.87 | 10.99 | 17.28 | 28.24 | 36.18 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamil Nadu | 539.64 | 588.22 | 548.28 | 669.65 | 877.08 | 1072.26 | 1174.07 | 1428.84 | 1562.48 |
| Telangana | 101.96 | 263.6 | 256.39 | 380.57 | 428.06 | 445.8 | 627.71 | 681.46 | 1007.39 |
| Tripura | 1.33 | 1.39 | 1.25 | 1.88 | 23.06 | 9.4 | 9.29 | 15.91 | 19.26 |
| Uttar Pradesh | 148.9 | 416.99 | 321.63 | 435.21 | 521.32 | 577.98 | 907.32 | 1338.23 | 1152.57 |
| Uttarakhand | 74.79 | 73.11 | 102.37 | 85.79 | 172.31 | 124.7 | 160.58 | 228.08 | 301.11 |
| West Bengal | 194.86 | 412.14 | 276.59 | 338.32 | 382.23 | 423.85 | 471.48 | 566.83 | 762.29 |
| Grand Total | 10065.93 | 14517.21 | 14542.51 | 17098.57 | 20217.65 | 24965.82 | 26210.95 | 26579.78 | 29986.92 |

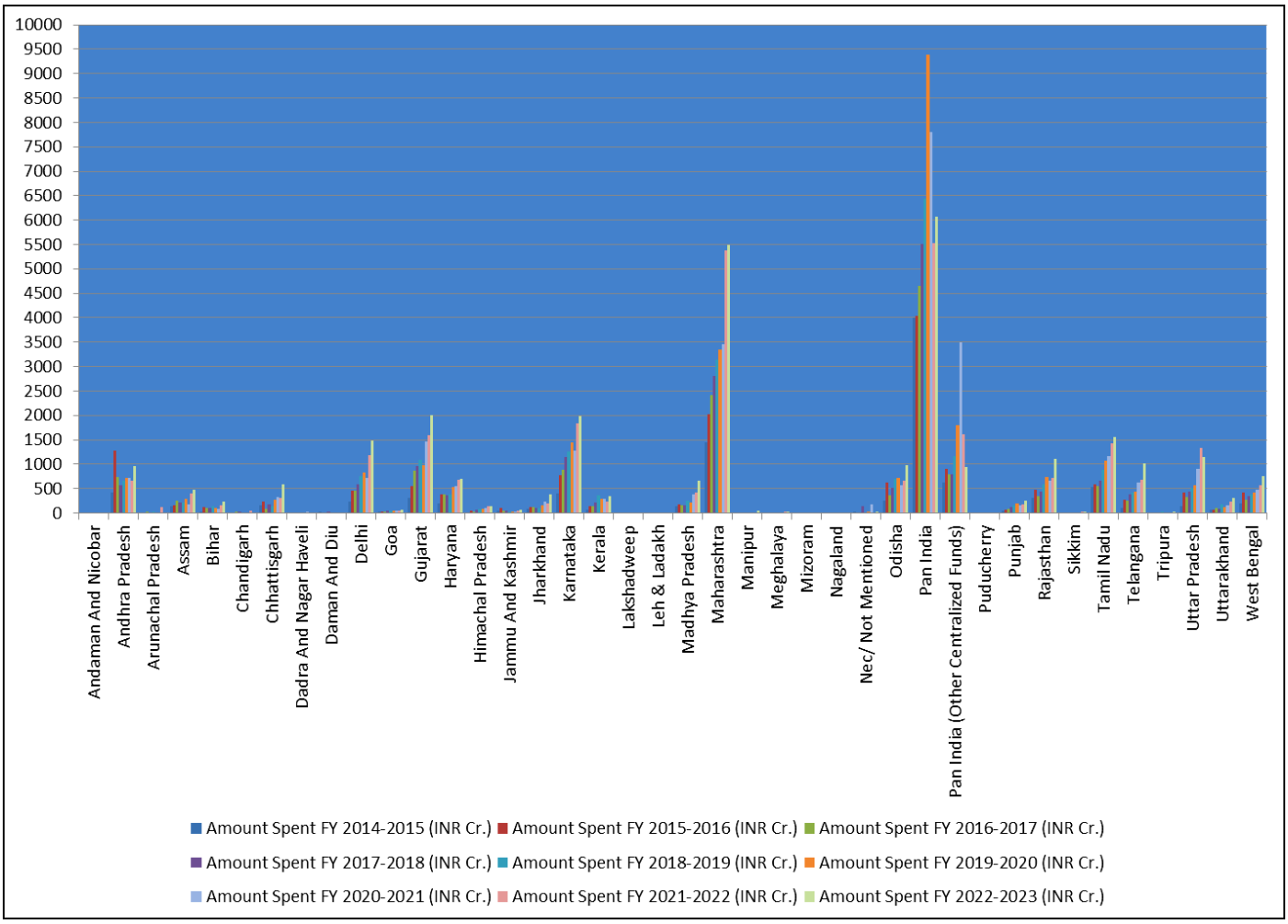


**लेखाचित्र 1:** राज्यवार सी.एस.आर फंड की स्थिति

**तालिका 1:** राजस्थान में विभिन्न उद्यौगो द्वारा खर्च किए गये सी.एस.आर. फण्ड की स्थिती 2014 से 2023 तक

| State | Amount Spent FY 2014-2015 (INR Cr.) | Amount Spent FY 2015-2016 (INR Cr.) | Amount Spent FY 2016-2017 (INR Cr.) | Amount Spent FY 2017-2018 (INR Cr.) | Amount Spent FY 2018-2019 (INR Cr.) | Amount Spent FY 2019-2020 (INR Cr.) | Amount Spent FY 2020-2021 (INR Cr.) | Amount Spent FY 2021-2022 (INR Cr.) | Amount Spent FY 2022-2023 (INR Cr.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rajasthan | 299.76 | 483.99 | 353.75 | 443.35 | 595.49 | 734.12 | 670 | 709.85 | 1102.37 |

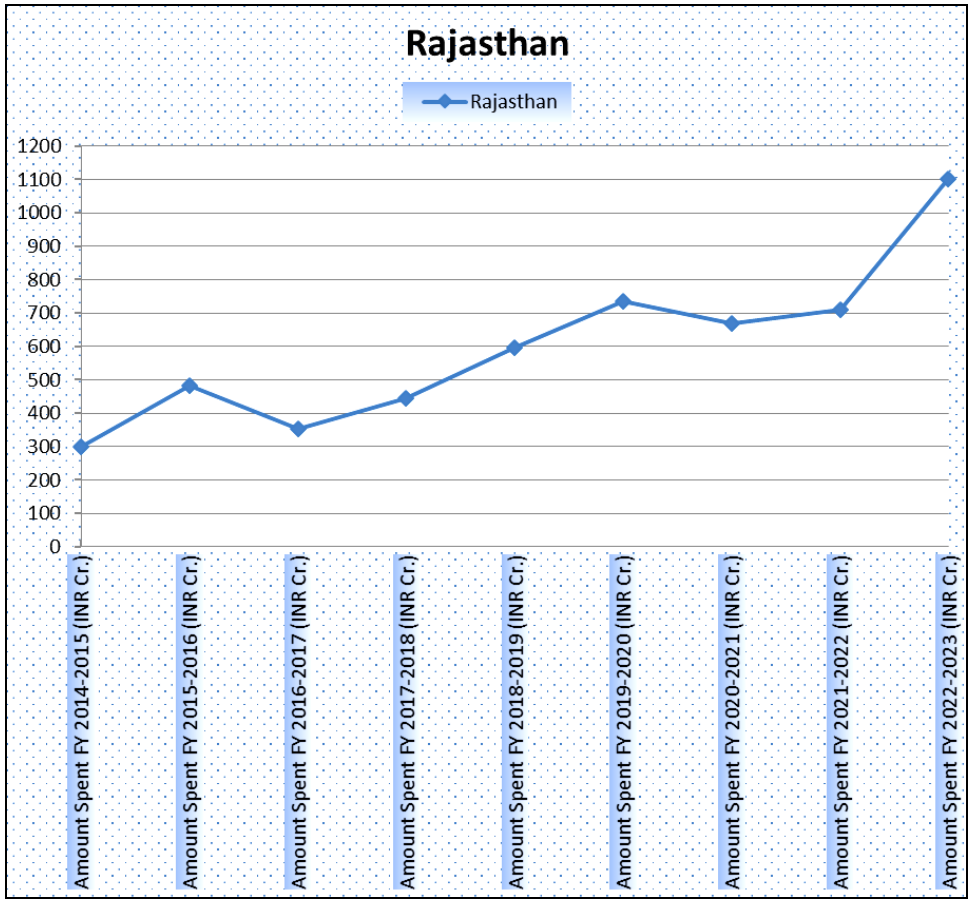


**लेखाचित्र 2:** राजस्थान में वर्षवार खर्च किए गए सी.एस.आर फंड की स्थिति

उपरोक्त टेबल 1 एवं टेबल 2 का वर्ष बार आंकलन किया जाए तो ज्ञात होता है (इसमे केवल राज्यो को शामिल किया गया है पान इण्डिया एवं पान इण्डिया अन्य सेन्टरलाइज फण्ड को शामिल नहीं किया गया है)

1. वर्ष 2014–2015 में सर्वाधिक सी.एस.आर. फण्ड का उपयोग महाराष्ट्र के द्वारा 1445.92 करोड रूपये का उपयोग किया गया वही सबसे कम लैह और लदाख के साथ लक्ष्यद्विव के द्वारा शून्य फण्ड का उपयोग किया गया इसी दरम्यान राजस्थान में 299.76 करोड रूपये के सी.एस.आर. फण्ड का उपयोग विभिन्न कम्पनियों के द्वारा किया गया।
2. वर्ष 2015–2016 में सर्वाधिक सी.एस.आर. फण्ड का उपयोग महाराष्ट्र के द्वारा 2026.91 करोड रूपये का उपयोग किया गया वही सबसे कम लैह और लदाख के द्वारा शून्य फण्ड का उपयोग किया गया इसी दरम्यान राजस्थान में 483.99 करोड रूपये के सी. एस.आर. फण्ड का उपयोग विभिन्न कम्पनियों के द्वारा किया गया।
3. वर्ष 2016–2017 में सर्वाधिक सी.एस.आर. फण्ड का उपयोग महाराष्ट्र के द्वारा 2420.35 करोड रूपये का उपयोग किया गया वही सबसे कम लैह और लदाख के द्वारा शून्य फण्ड का उपयोग किया गया इसी दरम्यान राजस्थान में 353.75 करोड रूपये के सी. एस.आर. फण्ड का उपयोग विभिन्न कम्पनियों के द्वारा किया गया।
4. वर्ष 2017–2018 में सर्वाधिक सी.एस.आर. फण्ड का उपयोग महाराष्ट्र के द्वारा 2797.53 करोड रूपये का उपयोग किया गया वही सबसे कम लैह और लदाख के द्वारा शून्य फण्ड का उपयोग किया गया इसी दरम्यान राजस्थान में 443.35 करोड रूपये के सी. एस.आर. फण्ड का उपयोग विभिन्न कम्पनियों के द्वारा किया गया।
5. वर्ष 2018–2019 में सर्वाधिक सी.एस.आर. फण्ड का उपयोग महाराष्ट्र के द्वारा 3147.72 करोड रूपये का उपयोग किया गया वही सबसे कम लैह और लदाख के द्वारा शून्य फण्ड का उपयोग किया गया इसी दरम्यान राजस्थान में 595.49 करोड रूपये के सी. एस.आर. फण्ड का उपयोग विभिन्न कम्पनियों के द्वारा किया गया।
6. वर्ष 2019–2020 में सर्वाधिक सी.एस.आर. फण्ड का उपयोग महाराष्ट्र के द्वारा 3353.24 करोड रूपये का उपयोग किया गया वही सबसे कम लैह और लदाख के द्वारा शून्य फण्ड का उपयोग किया गया इसी दरम्यान राजस्थान में 734.12 करोड रूपये के सी. एस.आर. फण्ड का उपयोग विभिन्न कम्पनियों के द्वारा किया गया।
7. वर्ष 2020–2021 में सर्वाधिक सी.एस.आर. फण्ड का उपयोग महाराष्ट्र के द्वारा 3464.81 करोड रूपये का उपयोग किया गया वही सबसे कम लैह और लदाख के द्वारा शून्य फण्ड का उपयोग किया गया इसी दरम्यान राजस्थान में 670 करोड रूपये के सी.एस. आर. फण्ड का उपयोग विभिन्न कम्पनियों के द्वारा

किया गया।

8. वर्ष 2021–2022 में सर्वाधिक सी.एस.आर. फण्ड का उपयोग महाराष्ट्र के द्वारा 5375.26 करोड रूपये का उपयोग किया गया वही सबसे कम लक्ष्यद्विप के द्वारा .45 करोड फण्ड का उपयोग किया गया इसी दरम्यान राजस्थान में 709.85 करोड रूपये के सी. एस.आर. फण्ड का उपयोग विभिन्न कम्पनियों के द्वारा किया गया।
9. वर्ष 2022–2023 में सर्वाधिक सी.एस.आर. फण्ड का उपयोग महाराष्ट्र के द्वारा 5497.3 करोड रूपये का उपयोग किया गया वही सबसे कम लक्ष्यद्विप के द्वारा .02 करोड फण्ड का उपयोग किया गया इसी दरम्यान राजस्थान में 1102 करोड रूपये के सी.एस. आर. फण्ड का उपयोग विभिन्न कम्पनियों के द्वारा किया गया जो कि पिछले वित्तिय वर्ष से अधिक।

## निष्कर्ष

यदि उपरोक्त विश्लेषण को देखे तो ज्ञात होता है महाराष्ट्र राज्य अन्य राज्यों के मुकाबले सी.एस.आर. फण्ड का सर्वाधिक उपयोग कर रहा जो कि निरन्तर बढ़ाता गया है जबकि राजस्थान में सी.एस.आर. फण्ड का उपयोग महाराष्ट्र के मुकाबले उसके प्रतिवर्ष किये गये सी.एस.आर. फण्ड के आधे से भी कम का उपयोग किया गया है। जबकि राजस्थान महाराष्ट्र के मुकाबले में क्षेत्रफल की दृष्टि से बडा राज्य है। यदि सम्पूर्ण वर्षो का विश्लेषण किया जाए तो राजस्थान में सी.एस.आर. फण्ड का उपयोग कभी पिछले वर्ष से ज्यादा तो कभी कम उपयोग में लाया गया जबकि हो सकता हैं कि औद्योगिक इकाईयो द्वारा लाभ ज्यादा कमाया गया लेकिन छद्मरूप से लाभो को कम दिखा कर सी.एस.आर. फण्ड कम खर्च किया गया। राजस्थान में सी.एस.आर. फण्ड के उपयोग की कमी के कारण को देखे तो ज्ञात होगा कि राजस्थान में महराष्ट्र, आन्ध्रप्रदेश यू.पी. आदि क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे राज्यों के मुकाबले उद्यौगो, सर्विस सेक्टर एवं कृषि आधारित कार्यो की कमी है। जिसका प्रमुख कारण है।

1. उद्यौगिक नितियां।
2. उद्यौगों के लिए आधार भूत अवश्यकता जैसे पानी, बिजली की कमी आदि।
3. मैन पावर।
4. भौगोलिक स्थितिया।
5. कच्चे माल की उपल्बधता की कमी।

## सुझाव

उपरोक्त विश्लेषण के बात से यह बात सही जान पडती है कि राजस्थान के पास हजारो वर्ग मीटर जमीने उपल्बध है लेकिन उद्यौगो की स्थिती अन्य राज्यों से कमतर है साथ सर्विस सेक्टर की कमी भी सी.एस.आर. फण्ड की उपल्बधता में कमी लाती है। अतः राज्य सरकार को चाहिए किः–

1. आद्यौगिक नितियों का विश्लेषण कर नए उद्यौगो को प्रोहोसाहित करने के लिए नितिया में बदलाव किये जाए खास करके जमीनो की उपल्बधता के सम्बंधमें।
2. ऐसे इकनॉमिक जोनो का निर्माण किया जाए जो उद्यौग विशेष के विस्तार के लिए कार्य करे। जैसे जोधपुर में लकडी एवं लैदर हैन्डीकॉपट, जयपुर मे रत्न उद्यौग आदि।
3. उद्यौगो के लिए कच्चे माल की सहज उपल्बधता।
4. औद्योगिक विकास के आधारभूत अवश्यकताओं की निरन्तर उपल्बधता जैसे बिजली–पानी।

**References**


1. Amit Kumar Srivastava, Gayatri Negi, Vipul Mishra, Shraddha Pandey. "Corporate Social Responsibility: A Case study of Tata Group", *IOSR Journal of Business and Management*, 2012, 3(5).
2. Bhupender and Vikas Kumar Joshiya. "Issues and Challenges of Corporate Social responsibility in India", IJIBF, 2012, 2(2).
3. Dr. Reena Shyam. "An Analysis of Corporate Social Responsibility in India", *International Journal of Research- Granthaalayah*, 2016, 4(5).
4. https://www.csr.gov.in/content/csr/global/master/home/ExploreCsrData/mis-reports/state-wise-report.html.
5. https://www.csr.gov.in/content/csr/global/master/home/ExploreCsrData/mis-reports/psu-nonpsu-wise.html
6. https://www.csr.gov.in/content/csr/global/master/home/ExploreCsrData/mis-reports/development-sector-wise.html